राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2009–10 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में विदेशी मदिरा एवं बीयर की रिटेल आफ दुकानो के अनुज्ञापत्र आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

1. पात्रता

विदेशी मदिरा एवं बीयर रिटेल आफ विक्रय हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमो के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते है । मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेगें :–

(क) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(ख) वर्ष 2008–09 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2008 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि / लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,

(ग) कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो,

(घ) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत गंभीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो ।

(ड) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

2. अवधि

अनुज्ञापत्र की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010) होगी।

3. आवेदन पत्र

3.1 इस अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन प्रपत्र निर्धारित स्टेशनरी चार्ज रूपये 30/– अदा कर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते है ।

3.2 जिन दुकानो हेतु यह आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, उनकी संबंधित आबकारी जिले की सूचि संलग्न हैं ।

3.3 पृथक – पृथक दुकान के लिये आवेदन पृथक – पृथक प्रस्तुत करना होगा ।

3.4 आवेदक को प्रति दुकान हेतु आवेदन शुल्क (जो कि बिन्दु संख्या 3.1 में उल्लेखित स्टेशनरी चार्ज के अलावा होगा) निम्नानुसार जमा कराना होगा जो कि non refundable होगा :

क्र.सं.	शहर/कस्बे/गॉव का विवरण	आवेदन शुल्क की रशि रूपये में
1	जयपुर एवं जोधपुर	7500/–
2	अन्य संभागीय मुख्यालय, जैसलमेर एवं माउन्ट आबू	6000/–
3	अन्य जिला मुख्यालय	4000/–
4	उक्त के अलावा शेष समस्त नगरपालिकाऐं	3250/–

3.5 आवेदक भागीदार फर्म होने की दशा में अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टनरशिप डीड की प्रति विभाग को प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

3.6 आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये आवेदन पत्र पर ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये । कोई व्यक्ति चाहे तो विभाग की वेब साईट http://www.rajexcise.org से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड़ कर उसमें आवेदन कर सकेगा। आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि का ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा अन्यथा उस पर विचार नही किया जायेगा । आवेदक को आवेदन पत्र के भाग – 1 व 2 की सही पूर्ति कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

3.7 आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नाम व पते के सत्यापन हेतु निवास प्रमाण पत्र / टेलिफोन बिल/ बिजली बिल/ केडिट कार्ड/ आयकर विभाग का पेन कार्ड / निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, इत्यादि में से किसी एक की फोटो प्रति संलग्न करेगा।

3.8 आवेदन पत्र के भाग – 2 पर आवेदक अपने हस्ताक्षर किसी राजकीय विभाग के अधिकारी / निरीक्षक अथवा ग्रम सेवक / पटवारी अथवा नगर पालिका / परिषद / निगम / पंचायत समिति / जिला परिषद के सदस्य से प्रमाणित करवायेगा ।

3.9 आवेदक को आवेदन पत्र के भाग 1 व 3 पर अपने स्व – हस्ताक्षरित फोटो लगाने होगें ।

3.10 जो आवेदन अपूर्ण होगें अथवा जिसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया हो, ऐसे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

3.11 वर्ष 2001 की जनसंख्या अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरो में शहर के जोन गठित किये गये हैं जो वर्ष 2006–07 के अनुरूप ही हैं। अतः ऐसे शहरो की दुकानों हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र में शहर के नाम के साथ जोन (जिसमें वह दुकान लगाने हेतु आवेदन कर रहा हैं) की संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा । ऐसे शहरो के लिये जोन संख्या का उललेख नही होने या अस्पष्टता होने पर ऐसे आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निदेशित जोन हेतु मान लिया जायेगा एवं आवेदक की कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी ।

4. लाईसेंस फीस

विदेशी मदिरा व बीयर रिटेल आफ दुकानों हेतु वार्षिक लाईसेंस फीस (वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिये) की राशि निम्न अनुसार है :

क्र.सं.	शहर / कस्बे / गॉव का विवरण	लाईसेन्स फीस की राशि (लाख रूपये में)
1	जयपुर एवं जोधपुर	7.50
2	अन्य संभागीय मुख्यालय, जैसलमेर एवं माउन्ट आबू	6.00
3	अन्य जिला मुख्यालय	4.00
4	उक्त के अलावा शेष समस्त नगरपालिकाऐं	3.25

5. सत्यांकर राशि

विदेशी मदिरा व बीयर रिटेल आफ दुकानों हेतु सत्यांकर राशि (earnest money) संबंधित दुकान की वार्षिक लाईसेंस फीस की 10 प्रतिशत राशि होगी । इस राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बनाया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा । जिस आवेदन के साथ निर्धारित सत्यांकर राशि संलग्न नहीं होगी, उस पर आगे विचार नहीं किया जायेगा । जिस आवेदक का अनुज्ञापत्र हेतु चयन हो जाता है, उसके द्वारा जमा कराई गई सत्यांकर राशि वार्षिक लाईसेंस फीस पेटे समायोजित कर दी जायेगी ।

6. लाईसेंस फीस अदायगी

6.1 विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल आफ दुकान के आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर 10 प्रतिशत सत्यांकर राशि के समायोजन पश्चात् वार्षिक लाईसेंस फीस की 40 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से तीन दिन में तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 10 दिन में अथवा दुकान संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करानी होगी ।

6.2 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा सत्यांकर राशि / लाईसेंस फीस राशि राजसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु पृथक से कोई नोटिस नही दिया जायेगा।

7. दुकानों का संचालन

7.1 आवेदक को अपनी दुकान पर मात्र विदेशी मदिरा एवं बीयर बेचने की ही अनुमति होगी । आवेदक द्वारा अपनी दुकान पर मदिरा पान कराने की अनुमति नहीं होगी ।

7.2 अनुज्ञाधारी को अपनी समस्त आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा इस हेतु बनाये गये निगम के डिपो से ही लेनी होगी ।

7.3 अनुज्ञाधारी निर्धारित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से ऊँचा मूल्य वसूल नहीं कर सकेगें और न ही निर्धारित न्यूनतम मूल्य से नीची दर पर मदिरा का विक्रय कर सकेगें ।

7.4 दुकानों के बारे में अन्य प्रावधान संलग्न अनुज्ञापत्र शर्तो में है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान के क्षेत्र / कस्बे /गॉव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह लाईसेंस फीस या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।

8. दुकानों की संख्या व अवस्थिति

विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों जिनके लिये आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, उनकी संख्या तथा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर हेतु यह दुकाने किस क्षैत्र में लगाई जा सकेगी, उसका विवरण उस जिले का विवरण जहां से कि यह आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, संलग्न हैं । शेष नगरपालिका क्षेत्रों हेतु स्वीकृत सीमा तक दुकाने सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र में सफल आवेदक द्वारा कहीं भी लगाई जा सकेगी ।

9. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

9.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से आबकारी शुल्क तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्क देय होगा । निगम द्वारा आबकारी शुल्क व अतिरिक्त आबकारी शुल्क चुकी मदिरा का ही अनुज्ञाधारियों को विक्रय किया जायेगा ।

9.2 अनुज्ञाधारियो को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान भी करना होगा ।

9.3 विदेशी मदिरा व बीयर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दु / प्रक्रिया अनुसार 20 प्रतिशत 'वेट– देय होगा ।

10. आवेदन जिस जिले की दुकान हेतु किया जा रहा है उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20. 02. 2009 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेगें । इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । किसी नगरपालिका/ नगरपरिषद / नगर निगम अथवा उसके जोन (यदि जोन है तो) हेतु निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा । किसी दुकान के लिये लॉटरी उस जिले में निकाली जायेगी जहां पर कि वह दुकान अवस्थित होनी है ।

11. रिटेल ऑफ दुकानों का आवंटन/लॉटरी प्रक्रिया

11.1 उक्त पैरा संख्या 10 अनुसार लॉटरी अपेक्षित होने पर लॉटरी निकालने की यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संबंधित जिला मुख्यालय पर दिनांक 24. 02. 2009 को प्रातः 11.00 बजे की जायेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी आवेदन प्राप्ति की अंतिम समय सीमा से पूर्व जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी । इस कार्यवाही के दौरान उस दुकान के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते है । आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग – 3) अपने साथ रखें ।

11.2 किसी दुकान के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग 2 को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी ।

11.3 किसी शहर / कस्बे अथवा उसके किसी जोन के लिये दुकानों की जो संख्या निर्धारित हैं उस हेतु दुकानों की संख्या की दुगुनी तक अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूचि (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूचि में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस की राशि जमा नही करवाता हैं तो आरक्षित सूचि में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके।

12. आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें । आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय / विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान – सरकार
आबकारी – विभाग

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान आबकारी नियम 1956 तथा राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहि:पान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम 1982 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा बिक्री (रिटेल ऑफ) के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या .... दिनांक : ....

अनुज्ञाधारी का नाम	पिता / पति का नाम	आयु	पूर्ण पता

उपर्युक्त व्यक्ति / व्यक्तियों को विदेशी मदिरा एवं बीयर के राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज कारपोरेशन के निर्धारित गोदाम से विदेशी मदिरा एवं बीयर प्राप्त कर ———————— स्थान (मोहल्ला) ———————— शहर / गॉव ———————— जिला में अवस्थित दुकान पर खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांक ———————— से ———————— तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तो पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है:–

1. <u>राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि की पालना :</u>

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या –2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 तथा राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहि:पान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम 1982 एवं अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमत्रंण बाबत दिये गये विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तो तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा ।

2. लाईसेंस फीस एवं अन्य राशियां तथा उनका भुगतान :

2.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2009–10 (दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 तक) की अवधि के लिए निर्धारित लाईसेन्स फीस रूपये ————————(अंको में) रूपये ——————————————————— (शब्दो में) का अनुज्ञापत्र आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत दिशा निर्देश में उल्लेखित अवधि में भुगतान करना होगा ।

2.2 उपर्युक्त राशियों के अलावा फीस एवं अन्य कर प्रभार, अगर कोई है, का नियमानुसार अलग से भुगतान करना होगा।

2.3 अनुज्ञाधारी द्वारा विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा ।

2.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज कारपोरेशन से मदिरा क्रय के लिये परमिट जारी करवाते समय राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69–बी के अन्तर्गत देय फीस पृथक से भुगतान करनी होगी ।

3. अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :

3.1 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र हस्तान्तरित नही कर सकेगा । अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञाधारी के वैध वयस्क उत्तराधिकारी को उसकी प्रार्थना पर अनुज्ञापत्र नियमानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

3.2 ''व्यक्तियों के समूह'' के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह – अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तो से बाध्य होगे। सभी सह – अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के लिए संयुक्त एवं पृथक – पृथक रूप से उत्तरदायी होगें । दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा । ऐसे ''व्यक्त्यिों के समूह'' में सम्मिलित व्यक्ति,

अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होगे।

3.3 व्यवसाय संचालन हेतु यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर ''व्यक्तियों का समूह'' बनाना चाहता हो अथवा ''व्यक्त्यिों के समूह'' में अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहता हो तो इसके लिए उसे अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस प्रकार नये सम्मिलित व्यक्ति भी अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जावेगें एवं वे आवेदन आमत्रंण के संबंध में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तो तथा अनुज्ञानपत्रों की शर्तो से बाध्य होंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति समूह के सभी दायित्वों की पूर्ति हेतु संयुक्त एवं पृथक – पृथक रूप से उत्तरदायी होगें । दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा। ऐसे ''व्यक्त्यिों के समूह'' में सम्मिलित व्यक्ति अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होंगे।

4. दुकान की अवस्थिति :

4.1 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान की अवस्थिति का अनुमोदन अपने क्षैत्र के जिला आबकारी अधिकारी से करवाना होगा । बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकान का संचालन नही कर सकेगा । उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है । ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा लाईसेंस फीस व अन्य देय राशियों में छूट पाने का हकदार नही होगा । साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृति कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा ।

4.2 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा । इस प्रकार स्वीकृत दुकान को एक स्थान से उसी दुकान के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द

रहने या संचालन नहीं करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा लाइसेन्स फीस में छूट पाने का हकदार नही होगा ।

4.3 अनुज्ञाधारी किसी कारणवश यदि दुकान संचालित नही कर पाता है तो लाइसेन्स फीस एवं अन्य देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा ।

4.4 अनुज्ञाधारी मदिरा दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नही लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा । महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घन्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी।

4.5 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नही लगा सकेगा । हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

4.6 अनुज्ञाधारी राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय दूरियों पर विकसित बाजारों में दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करा सकेगा, किन्तु जहां ऐसे बाजार नही है वहां मार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी तक दुकान नही लगा सकेगा किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की आधिकारिता एवं सीमा से गुजरने वाले उक्त मार्गो पर लागू नही होगी ।

4.7 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर कम से कम 75 X 125 से. मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम व विवरण, दुकान के खुलने व बन्द होने का समय आदि का उल्लेख हों, लगाना होगा । नगर पालिका क्षैत्र के भीतर की दुकानों के लिए जब तक कि जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति न हो, तब तक केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा । आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके । दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा । जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नही रख सकेगा । अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों / टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा ।

4.8 दुकानों को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ – सफाई रखनी होगी । मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न ब्राण्डस् की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा ।

4.9 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस दुकान के लिए निर्धारित क्षैत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर लाइसेंन्स फीस में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

4.10 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत दुकान को उस दुकान हेतु निर्धारित क्षैत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा ।

5. दुकानों का संचालन

5.1 दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

5.2 वर्ष 2008– 2009 हेतु नियत 4 शुष्क दिवसों के अतिरिक्त 30 जनवरी के नव निर्धारित शुष्क दिवस पर एवं भविष्य में राज्य सरकार / आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी । इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय – समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न लाइसेंस फीस की राशि में ही कोई कमी की जावेगी । यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी लाइसेन्स फीस की राशि में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी । शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी ।

5.3 अनुज्ञाधारी बिक्री के लिए मदिरा राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज कारपोरेशन के निर्धारित गोदाम से ही क्रय कर सकेगा और उसे अपनी दुकान पर **'इन्वायस–कम–टी.पी'** में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसे परिवहन के दौरान साथ रखना होगा । दूसरे स्थान या किसी भी अन्य अनुज्ञाधारी से मदिरा नही ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा ।

5.4 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर अधिकृत रूप से क्रय की हुई विदेशी मदिरा एवं बीयर का ही विक्रय कर सकेगा ।

5.5 अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से ही नौकर रख सकेगा परन्तु ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक काम के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की

आवश्यकता नही होगी । अनुज्ञाधारी मदिरा बेचने व लाने के लिए अपनी दुकान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नौकर नही रख सकेगा जिसे कोई संक्रामक रोग हो या जो आबकारी एवं फौजदारी जुर्म में आदतन अपराधी अथवा वान्टेड हो । दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनामे के अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा ।

5.6 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो । मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत खुदरा गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है ।

5.7 मदिरा का विक्रय केवल सील बन्द बोतलों / केन में ही किया जा सकेगा ।

5.8 स्वीकृत दुकान पर किसी भी प्रकार का मदिरा पान करना/ कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा ।

5.9 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में 6 लीटर से अधिक विदेशी मदिरा / 7.8 लीटर से अधिक बीयर बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के एक साथ नही बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी । ऐसी आज्ञा के विरूद्ध वह कोई आपत्ति नही कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा ।

5.10 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरूस्त न हो, मदिरा नही बेच सकेगा । इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नही बेच सकेगा । वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को भी ड्यूटी दे रहे मदिरा नही बेच सकेगा।

5.11 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नही होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हो, दुकान पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नही ठहरायेगा । यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे ।

5.12 अनुज्ञाधारी मदिरा बोतलो पर अंकित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से ऊँचा मूल्य ग्राहको से वसूल नही करेगा । अनुज्ञाधारी अधिकतम खुदरा मूल्य के 5% से ज्यादा कम पर भी मदिरा का विक्रय नही कर सकेगा।

6. अभिलेखों का संधारण :

6.1 अनुज्ञाधारी को मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा । व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी । यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा । प्रतिदिन का हिसाब दुकान बंद करने के साथ उसी दिन ही लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा ।

6.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा ।

6.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को मदिरा के बचे हुए स्टाक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी । समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा । निस्तारण होने तक बचा हुए स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्रधारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होगें ।

7. अनुज्ञापत्र को निरस्त करना

7.1 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नही रखता है अथवा ठीक तौर पर नहीं चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवचंना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

7.2 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 अथवा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उसके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

7.3 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

7.4 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा आबकारी अधिनियम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम 1956, राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहिःपान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम, 1982 अथवा अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तो अथवा समय – समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

7.5 अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी अनुज्ञाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र निरस्त कर सकेगा । अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अनुज्ञाधारी अथवा उसके वारिस किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नही होंगें ।

7.6 अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंस फीस का कोई भी भाग वापसी योग्य नही होगा ।

8. बकाया राशियों की वसूली :

अनुज्ञाधारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व अथवा उस पर ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू – राजस्व की बकाया की भॉति अनुज्ञाधारियों एवं उनके वारिसो / उत्तराधिकारियों से की जायेगी । अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उसके वारिसो / उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा ।

9. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षैत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा ।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

<u>प्रतिसंविदा</u>

अनुज्ञापत्र संख्या ———————————————जिला ———————————— दुकान का नाम ——————————————————————— मैं /हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तो तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, अनुज्ञापत्र के आवेदन आमंत्रण के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ / करते हैं ।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

प्रति हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक
वृत ——————————————

जिला आबकारी अधिकारी